तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
19/7/23	पत्रावली समक्ष लोक अदालत पार्ट आपसे हाईवे रोड पर पक्ष में रिकॉर्ड [illegible] नीमकाथाना प्राप्त है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्कालिक आवेदक [illegible] नीमकाथाना के धारा 96 का प्रावधान अन्तर्गत धारा 126 CPC स्वीकार किया जाता है। [illegible] नीमकाथाना से आदेश किया जाता है कि फास्ट ट्रेक की कार्यवाही जरिये 2023-24 के दर्ज [illegible] दर्ज किया जावे। पक्षकार, उपकमल, रतनचन्द, हनुमान पि. सुरजमराम, [illegible] पत्नी सुरजाराम, सन्तोष, [illegible] रतन पुत्रीयां सुरजाराम हि 1/2 सहित PNB रोड [illegible], मालीदेवी पत्नी मोहन, रामेश्वर, रोहिताश पि. मोहन, [illegible] पत्नी मोहन, [illegible] पुत्रीयां मोहन हि 1/2 [illegible] पा. उपला आदि [illegible] के स्थान पर [illegible] उपकमल, रतनचन्द, हनुमान पि. सुरजाराम, [illegible] पत्नी सुरजाराम, सन्तोष, [illegible], रतन पुत्रीयां सुरजाराम हि 1/4 सहित PNB रोड [illegible], मालीदेवी पत्नी मोहन रामेश्वर, रोहिताश पि मोहन, [illegible] पत्नी मोहन पुत्रीयां मोहन हि 1/4, [illegible], [illegible] पि० [illegible] हि 1/2 कोर्ट [illegible] पा. उपला आदि [illegible] दर्ज किया जावे। विपक्ष [illegible] लोक अदालत के समक्ष भी आदेश [illegible]	

(जे. के. गोयल)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner